



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092020-221498
CG-DL-E-02092020-221498

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2632]
No. 2632]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

का.आ. 2963(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 967 (अ) तारीख 3 मार्च 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 144/400 कि.मी. से 249/000 कि.मी. तक के भू-खण्ड (महाराष्ट्र सेक्शन) के निर्माण (दोन लेन को शोल्डर के साथ चार लेन में चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 10/06/2020 को दैनिक दिव्य मराठी (मराठी) और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस (इंग्रजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी !

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में NH65 के कि.मी. 144.400 से कि.मी.249.000 (पुणे सोलापूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: उत्तर सोलापूर				
	गांव का नाम: कोंडी				
1	411	निजी	एग्रीकल्चर	0.12	जयंतकुमार पोपट साठे, उजनी कालवा, इतर हक्क, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोंडी (411 प)
			कुल	0.12	

[फा. सं. NHAI/BOT-1/11013/PIU-SOLAPUR/2012/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2020

S.O. 2963(E).— Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 967 (E) dated 3rd March 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for building (widening / four - laning), Maintenance, Management and operation of National Highway No. 9 (Now New NH No. 65), including the bypasses, on the stretch of land from 144.400 to Km 249.000 (Pune - Solapur Section) in the Solapur District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said Notification has been published in Daily Divya Marathi (Marathi) and Daily "Indian Express" (English) dated the 10th June 2020, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 144.400 to 249.000 (Pune Solapur Section) of the National Highway No. 9 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: SOLAPUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: North Solapur				
	Village: Kondi				
1	411	Private	Agriculture	0.12	Jayantkumar Popat Sathe, Ujani Canal, Other Right, Central Bank of India Kondi 411 P
			TOTAL	0.12	

[F. No. NHAI/BOT-1/11013/PIU-SOLAPUR/2012/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.